


3/7/19

अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट अर्जुन
रेलवो अर्जुन) अपीलान्ट व वकील
अपीलान्ट को कापी आवेजि दिलाई
गई। लेकिन अपीलान्ट को कोर से
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील
अपीलान्ट अदालत द्वारा अदालत के
के खारिज की जाती है। पत्राचार
फैलर सुमाट होकर बाद वकील
वकील वकील वकील से।


जिजा कबेकर
कोष